



दिनांक: 25.10.2025

-प्रेस नोट-

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमें में वांछित 01 गोकश
घायलावस्था गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर ,02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस
.315 बोर, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी व गोकशी के उपकरण बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 24.10.2025 की समय करीब 18.54 बजे को थाना देवबन्द पुलिस टीम गोपाली चौकी के पास बरला की तरफ, बरला-देवबन्द रोड़ पर रजवाहे की पुलिया पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे तभी बरला की तरफ से एक छोटा हाथी (वाहन) आता दिखाई दिया जिसको टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया छोटा हाथी में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और छोटे हाथी को लेकर रजवाहे की पटरी थीथकी जंगल की तरफ भागने लगे, इस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो करीब 200 मीटर आगे जाकर बायीं तरफ बने ट्यूबवेल की तरफ मोड़ दिया और ट्यूबवेल के पास छोटे हाथी से बाहर निकले दो बदमाशों ने दुबारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश के साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश तलाश हेतु लगातार काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **इंतखाब उर्फ काला पुत्र हामिद निवासी ग्राम बरला छपार थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/अभियुक्त के **कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 छोटा हाथी (UP 12 T 8895) तथा गोकशी के उपकरण बरामद**। घायल बदमाश थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0 500/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व धारा 109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 910/2025 धारा 109 (1) बीएनएस व धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं अपने साथी के साथ मिलकर जंगलो में घूम रहे अवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में एंकात स्थान में ले जाकर गोकशी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इंतखाब उर्फ काला पुत्र हामिद निवासी ग्राम बरला छपार थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 500/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना देवबन्द

2-मु0अ0स0 910/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315
- 01 छोटा हाथी यू पी 12 टी 8895 घटना में प्रयुक्त
- गौकशी करने के उपकरण एक लकड़ी का गुटका गोल, दो रस्सी सफेद व गुलाबी रंग की, 01 दाव ,03 छुरी व काले रंग की कुछ पोलोथिन की थेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना देवबन्द सहारनपुर
2. उ0नि0 अजब सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
4. है0का0 1216 ब्रह्मप्रकाश थाना देवबन्द सहारनपुर
5. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबन्द सहारनपुर
6. है0 का0 770 शिवकुमार त्यागी थाना देवबन्द सहारनपुर
7. का0 16 पवन थाना देवबन्द सहारनपुर
8. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी के मुकदमें में वांछित 02 गौकश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर ,02 खोखा/ 04 जिंदा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप गाड़ी व गौकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 24/25.10.2025 की रात्रि को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम बादशादीबाग चौकी क्षेत्र में ग्राम शेरपुर पेलो की पुलिया पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम कासमपुर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी में सवार कुछ व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर पिकअप गाड़ी चालक को रुकने का ईशारा किया गया। पिकअप गाड़ी में सवार संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर रजवाहे की पटरी से जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर पिक अप गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकरा गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाश पिकअप गाड़ी से उतरकर पुन पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग जा रही है। गिरफ्तार/घायल दोनों बदमाश की पहचान **1.नौमान पुत्र वरीश निवासी ग्राम महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2.साजिद उर्फ वाडा उर्फ कुरकुरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी बेहट में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल दोनों बदमाश थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व मु0अ0सं0-234/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार गिरफ्तार/घायल गौकशों के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0-236 /2025 धारा—109(1) बीएनएस व 3/25/27आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि आज हम लोग जंगल में घुमकर आवारा पुशओ पकड़ कर एकान्त स्थान पर ले जाकर गोकशी करते हैं क्योंकि जंगल व पहाड़ी

क्षेत्र होने के कारण हम लोगो को गौकशी करने मे डर नही रहता है और अपने काम को अन्जाम देते है आज भी हम लोगो गौकशी करने के लिए जंगल मे जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नौमान पुत्र वरीश निवासी ग्राम महमूद मजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. साजिद उर्फ वाडा उर्फ कुरकुरा पुत्र शमशाद निवासी ग्राम नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त नौमान का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 43/2018 धारा 120बी /380/411/506 भादवि थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. मु०अ०स० 44/2018 धारा 3/5ए/8 सीएसएक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. मु०अ०स० 218/2018 धारा 2/3 गैगएस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. मु०अ०स० 111/2024 धारा 115/118(1)/332 सी बीएनएस थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० -143/24 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट चलानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 02 तमंचे .315 बोर
- 02 खोखा/04 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 पिकअप गाड़ी घटना में प्रयुक्त
- गौकशी करने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. उ०नि० दिनेश कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. उ०नि० सचिन त्यागी थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. उ०नि० ललित तोमर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. हे०का० 1315 राहुल कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. हे०का० 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. का० 1666 पकज कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले शातिर अपराधियों पर नकेल कसने हेतु की गयी कठोर कार्यवाही में कुल 65 गौकश अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 55 गौकशों पर गैंगस्टर एक्ट, 22 गौकशों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी तथा 46 गौकशों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गौकशी की घटनाओं पर रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधियों के विरुद्ध सहारनपुर पुलिस द्वारा लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में माह अक्टूबर तक गौकशी मुक्त अभियान के तहत गौकशी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए कुल 65 गौकश अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, 55 गौकशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। 46 गौकशों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है तथा 22 शातिर गौकशों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है।

उत्तर प्रदेश में गौकशी (गाय, बैल या उनके वध से संबंधित अपराध) एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है।

यह अपराध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (U.P. Prevention of Cow Slaughter Act, 1955) के अंतर्गत दंडनीय है, जिसके अंतर्गत—

- गोवध करने या उसके प्रयास करने पर सात वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही यह कार्यवाही न केवल अपराधियों के लिए कड़े संदेश का कार्य कर रही है, बल्कि आमजन में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ कर रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि गौकशी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं जनपद को अपराध-मुक्त बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयासरत रहें।

सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध थानावार की गयी निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है –

क्रम सं०	थाना	गैंगस्टर अधिनियम		गुण्डा	एच०एस०
		मुकदमा	अपराधी		
1.	मण्डी	-	-	03	06
2.	कुतुबशेर	01	06	06	01
3.	को०देहात	02	16	01	-
4.	गागलहेड़ी	01	04	-	-
5.	चिलकाना	-	-	03	01
6.	रामपुर मनि०	-	-	05	-
7.	देवबन्द	-	-	07	02
8.	नागल	01	06	05	01
9.	बड़गांव	01	04	-	-
10.	नकुड़	01	04	-	-
11.	सरसावा	-	-	-	01
12.	बेहट	01	11	-	01
13.	मिर्जापुर	-	-	06	05
14.	गंगोह	-	-	01	02
15.	नानौता	-	-	02	-
16.	फतेहपुर	01	04	07	02
सम्पूर्ण योग		09	55	46	22



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

सहारनपुर पुलिस की सख्त कार्यवाही — शातिर अपराधियों पर कसी नकेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर/देहात तथा क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध की रोकथाम एवं शातिर, सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण हेतु निरोधात्मक अभियानों को गति दी गई है।

माह अक्टूबर 2025 में जनपदीय पुलिस की प्रमुख निरोधात्मक कार्यवाही :

□ **गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कुल 10 अभियोग** पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

□ **कुल 16 हिस्ट्रीशीट्स खोली गईं**, जिनमें निम्न प्रकार के अपराधियों को चिह्नित किया गया है—

- वाहन चोरी से सम्बन्धित अपराधी – 04
- गौकशी से सम्बन्धित अपराधी – 01
- एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित – 02
- लूट की घटनाओं में संलिप्त – 03
- नकबजनी करने वाले – 02
- आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित – 02
- जुआ अधिनियम के तहत – 02

□ **गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुल 02 अभियोग** पंजीकृत किए गए, जिनमें वाहन चोरी के अपराधों में लिप्त 05 अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।

जनपद पुलिस का संकल्प :

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि—

- जनपद में अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए।
- सक्रिय/शातिर अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक व कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए नियमित गश्त, निगरानी एवं खुफिया तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

पुलिस का संदेश :

सहारनपुर पुलिस आम जनता से अपील करती है कि समाज विरोधी तत्वों की सूचना तत्काल नजदीकी थाने या पुलिस हेल्पलाइन पर दें। आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

सहारनपुर पुलिस का उद्देश्य है — “अपराध मुक्त सहारनपुर, सुरक्षित नागरिक — हमारा संकल्प।”



-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.10.2025

*छठ पूजा के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण*

*** ➡ □ आज दिनांक 25.10.2025 को जिलाधिकारी सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत मानकमऊ घाट का निरीक्षण किया गया* ।**

*** ➡ □ निरीक्षण के दौरान घाट पर की जा रही व्यवस्थाओं — जैसे सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात नियंत्रण एवं महिलाओं की सुरक्षा — का जायजा लिया गया।***

*** ➡ □ घाट का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।***



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

*_☐☐♂☐ जनपद सहारनपुर पुलिस का सघन नाकाबंदी अभियान —
अपराध पर प्रभावी अंकुश हेतु सीमाएं सील कर की गई सघन चेकिंग ☐_*

➡☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वर्तमान परिस्थितियों एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के दृष्टिगत एक सुदृढ़ नाकाबंदी एवं चेकिंग कार्ययोजना लागू की गई। इस कार्ययोजना का उद्देश्य अपराध नियंत्रण, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कानून-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

➡☐ आज दिनांक 25.10.2025 को समय 14:00 बजे से 15:00 बजे तक जनपद भर में इस अभियान के अंतर्गत —नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की गई।

☐ अभियान की प्रमुख विशेषताएँ :*

जनपद की सभी सीमाओं को अस्थायी रूप से सील कर रणनीतिक नाकाबंदी की गई।

संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं वस्तुओं की गहन तलाशी एवं सत्यापन किया गया।

सीसीटीवी, ड्रोन व इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी गई।

थाना स्तर से लेकर जनपद स्तर तक पुलिस समन्वय एवं गश्त व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया।

अभियान का उद्देश्य अपराधियों में भय एवं जनता में विश्वास उत्पन्न करना रहा।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

***!! □ सहारनपुर पुलिस का “NO HELMET – NO FUEL” अभियान !! □ ***

*** □ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सहारनपुर पुलिस की विशेष पहल ***

* ➡ □ जनपद सहारनपुर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने तथा आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में “नो हेलमेट – नो फ्यूल” अभियान चलाया गया। *

* ➡ □ आज दिनांक 25.10.2025 को सुबह 16:00 बजे से सांय 17:00 बजे तक जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर पुलिस टीमों द्वारा व्यापक चेकिंग की गई। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया गया और बिना हेलमेट आने वालों को ईंधन नहीं दिया गया। *

*** □ सहारनपुर पुलिस की आमजन से अपील ***

- दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।
- कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
- धीमी गति एवं अपनी लेन में चलें।
- किसी भी आपात स्थिति/दुर्घटना में 108 या 112 पर संपर्क करें।

*** □ क्या न करें ***

- नशीले पदार्थ/शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- तेज गति से वाहन न चलाएं।

*** □ उद्देश्य ***

यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने, ट्रैफिक नियमों के पालन की प्रवृत्ति विकसित करने एवं सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

*** □ सहारनपुर पुलिस का संदेश — ***

“सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें — जीवन अनमोल है।”



-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.10.2025

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — **थाना चिलकाना पुलिस** टीम द्वारा अवैध खनन में 08 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 वाहन सीज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण एवं अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कड़ी चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध खनन सामग्री से भरे हुए 05 ट्रकों को पकड़ा एवं 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

□ कार्रवाई का विवरण :

दिनांक 25.10.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान निम्न 05 ट्रक अवैध खनन सामग्री सहित पकड़े गए —

- 1□ **HR-58E-6709 (18 टायरा)** — 10 एमएम रोडी से लदा हुआ, ओवरलोड एवं बिना वैध प्रपत्र।
- 2□ **बिना नंबर प्लेट (18 टायरा)** — 06 एमएम रोडी से भरा हुआ, ओवरलोड एवं बिना वैध प्रपत्र।
- 3□ **UP-15GT-5556 (22 टायरा)** — 40 एमएम रोडी से भरा हुआ, ओवरलोड।
- 4□ **UP-15GT-7778 (18 टायरा)** — 40 एमएम रोडी से भरा हुआ, ओवरलोड।
- 5□ **UP-12BT-1247 (18 टायरा)** — कोर्सेट सामग्री से लदा हुआ, बिना आवश्यक कागजात।

इन सभी वाहन के चालकों के पास खनन सामग्री से संबंधित कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया।

□ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

1. उवैश पुत्र रब्बान निवासी ग्राम चोखड़ा थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर
2. समून पुत्र इस्तखार निवासी ग्राम कुन्हैड़ी थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर
3. सुहैल पुत्र जुबैर निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर
4. उम्मेद पुत्र उमर मोहम्मद निवासी ग्राम कुन्हैड़ी थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर
5. दरेशपाल पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम बामनहेड़ी थाना कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर
6. फैजान पुत्र जमशेद निवासी ग्राम खोकनी थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर
7. शहनवाज पुत्र जिन्दा हसन निवासी ग्राम कबीरपुर थाना झिंझाना, जनपद शामली
8. फारूख पुत्र सिन्ना निवासी ग्राम कबीरपुर थाना झिंझाना, जनपद शामली

□ घटना का क्रम :

वाहनों को कब्जे में लेकर उपरोक्त अभियुक्तगण आपस में एक-दूसरे पर वाहन पकड़े जाने का आरोप लगाते हुए विवाद एवं मारपीट पर आमदा फसाद हो गए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को बाईपास तिराहा क्षेत्र से समय लगभग 10:30 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर **माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

☐♂☐ **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :**

1. थाना प्रभारी **श्री विनोद कुमार**, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
2. उपनिरीक्षक **श्री राजकुमार उज्जवल**, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. हेड कांस्टेबल **सचिन खोखर (1317)** थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
4. कांस्टेबल **दीपक कुमार (1700)** थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
5. कांस्टेबल **मनोज कुमार (634)** थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

☐ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर का संदेश :**

“जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस नीति** अपनाई गई है।

इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा।”



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

थाना गागलहेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई — मिट्टी का अवैध खनन करते हुए 03 ट्रैक्टर ट्राली व 01 जेसीबी मशीन को सीज किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है।

□ घटना का विवरण :

दिनांक 25.10.2025 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम गश्त एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भारापुर क्षेत्र में कुछ भू-माफिया तत्वों द्वारा मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँचने पर पुलिस ने देखा कि कुछ व्यक्ति मिट्टी का अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रालियों में भर रहे थे, जिन्हें पुलिस बल को देखकर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 03 अदद ट्रैक्टर ट्राली (मिट्टी से भरी हुई) एवं 01 अदद जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर सीज किया।

सीज वाहनों को थाना परिसर में लाकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

□ बरामदगी का विवरण :

03 अदद ट्रैक्टर-ट्राली — जिनमें अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी भरी हुई थी।

01 अदद जेसीबी मशीन — जिसका उपयोग मिट्टी की खुदाई में किया जा रहा था।

□ ♂ □ बरामदगी एवं कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम :

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार, थाना गागलहेड़ी
2. उपनिरीक्षक श्री सौरभ यादव, थाना गागलहेड़ी
3. हेड कांस्टेबल कपिल तेवतिया (790) थाना गागलहेड़ी,
4. हेड कांस्टेबल सोनू ढाका (831) थाना गागलहेड़ी,
5. हेड कांस्टेबल राहुल चौहान (810) थाना गागलहेड़ी,
6. हेड कांस्टेबल आशीष तोमर (342) थाना गागलहेड़ी,

□ कानूनी कार्यवाही :

अवैध खनन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। बरामद वाहनों के स्वामित्व व सम्बंधित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, ताकि दोषियों के विरुद्ध खनिज (नियम एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर का निर्देश :

“अवैध खनन जनहित, पर्यावरण एवं सरकारी राजस्व — तीनों के लिए हानिकारक है। जनपद में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।”



दिनांक- 25.10.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस की कार्यवाही में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा

तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 207 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस की कार्यवाही में गश्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **दानिश पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को नहर पटरी शाकुम्भरी रोड जंगल ग्राम अब्दुल्लापुर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 207 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 497/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

दानिश पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

207 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 56/24 धारा- 414/465 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 67/23 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 196/22 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 437/23 धारा- 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 478/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 545/21 धारा- 398/401 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0- 279/22 धारा- 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 394/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 378 तरुण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1759 सावन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद -

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 19.10.2025 मनीष पुत्र अमरनाथ निवासी पेपर मिल रोड काशीराम कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर तहरीर दी कि दिनांक 18.10.2025 को अज्ञात चोर द्वारा मेरी मोटर साइकिल UP-11-CV-6506 काशीराम कालोनी से चोरी कर ली गयी है। जिस सम्बन्ध में तत्काल थाना हाजा पर मु0अ0सं0 524/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना के सुपुर्द की गयी।

पुलिस कार्यवाही:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/लूट/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त जीतू पुत्र बलजोर निवासी ग्राम रसुलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली** को शेखपुरा कदीम से आगे एलस्ट्रोम यार्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की गयी मोटरसाइकिल UP-11-CV-6506 बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

जीतू पुत्र बलजोर निवासी ग्राम रसुलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली

बरामदगी-

01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस UP-11-CV-6506

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडना थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0 का0 515 राहुल मय मय थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. का0 2326 हिम्मत सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1501 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.10.2025

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना घटना का खुलासा करते हुए 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, 01 बैंक पासबुक, 01 अदद आधार कार्ड, 01 जूता व 01 आला कत्ल जैक लोहे का बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 24.10.2025 को वादिया श्रीमति सोनम पत्नी राजकुमार निवासीगण ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर मो0न0 7027242892 की एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 15.10.2025 को अपने पति राजकुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के अपनी पिकअप गाडी UP11AT-9333 मे नर्सरी कस्बा कैलाशपुर से पेड भरकर पंजाब पटियाला जाना तथा रास्ते मे ही अभियुक्तगण सुऐब पुत्र शहजाद निवासी खाता खेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर व उसके साथी नाम पता अज्ञात के साथ मिलकर षडयन्त्र कर आवेदिका के पति राजकुमार उपरोक्त की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 305/25 धारा 103(1)/351(2)/333/61(2) बीएनएस व 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया ।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.10.2025 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये **03 वांछित अभियुक्तगण 1. शोएब पुत्र शहजाद खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 2. शमीम पुत्र अनवर निवासी मवीखुर्द खेडा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर व 3. दिलशाद उर्फ सोनू पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला करीम बक्श कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन शामली को हरौडा कट से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब ने पूछताछ पर बताया कि मैंने, मृतक राजकुमार से कैंन्टर गाडी खरीदी थी जिसके लगभग 45 हजार रुपये मुझ पर उधार थे, राजकुमार इन रुपयो की अदायकी के लिये मुझ पर दबाव बना रहा था । पैसो के लेन देन को लेकर मेरे और राजकुमार के बीच कुछ दिन पहले गाली गलौच हुई थी, मैंने राजकुमार से कहा था कि ये गाडी मेरे नाम करा दे पैसे जब मेरे पास होंगे मैं दे दूँगा और यदि तुने गाडी मेरे नाम नही करायी तो मैं तुझे मौके मिलने पर जान से मार दूँगा । इसके बाद भी राजकुमार मेरे ऊपर पैसा अदायकी के लिये कहता रहता था । इससे परेशान होकर मैंने अपने साथी शमीम व दिलशाद के साथ मिलकर योजना बनाई कि राजकुमार को रास्ते से हटाना ठीक है । राजकुमार नर्सरी के पौधे लेकर अकसर पंजाब , हरियाणा जाता रहता है । उसे विश्वास मे लेकर रास्ते से हटाना ठीक रहेगा । दिनांक 16.10.25 को भी मेरी, राजकुमार से फोन पर पैसो के लेनदेन के सम्बन्ध मे कहा सुनी हुई हो गयी थी और योजना के तहत हम तीनों ने मिलकर दिनांक 16/17.10.25 की रात्रि मे पटियाला से आ रहे राजकुमार की पिकअप गाडी को कलानौर हरियाणा मे रुकवाकर उसकी गाडी मे बैठकर सहारनपुर की तरफ चल दिये । सरसावा जाने वाले रास्ते पर बने सागर रत्ना रिसोर्ट के पास आये और गाडी रुकवाकर राजकुमार के साथ मारपीट की और मैंने ने राजकुमार की गाडी मे रखे लोहे के जैक से राजकुमार के चेहरे व छाती व गर्दन पर वार किया । हमे लगा की वह मर गया है तो उसे मरा समझ कर सागर रत्ना रिसोर्ट के

पास सडक के किनारे फेंक दिया तथा उससे कुछ दूरी पर ही लोहे का जैक भी वही फेंक दिया था । उसके बाद हम तीनों गाडी पीकअप व मोबाइल व अन्य सामान को लेकर हम वहा से भाग गये थे तथा पिकअप गाडी को हमने वर्कशाप टीपी नगर मे खडा कर दिया था । बाद मे हमे पता चला कि राजकुमार उस समय नही मरा था बल्कि उसको ईलाज के लिये अस्पताल मे भर्ती किया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी थी हमे शक था कि अब पुलिस कार्यवाही होगी और हम पकडे जा सकते है लिहाजा हम बचने के लिये उत्तराखण्ड जा रहे थे कि आपने हमे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शोएब पुत्र शहजाद खाताखेड़ी थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. शमीम पुत्र अनवर निवासी मवीखुर्द खेडा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. दिलशाद उर्फ सोनू पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला करीम बक्श कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन शामली

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोबाइल फोन (मृतक का)
- 01 बैंक पासबुक (मृतक का)
- 01 अदद आधार कार्ड (मृतक का)
- 01 जूता (मृतक का)
- 01 आला कत्ल जैक लोहे का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 सौरभ यादव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 790 कपिल तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 25.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस की प्रभावी कार्रवाई — हत्या के मुकदमें में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

☐♂☐ पुलिस कार्यवाही का विवरण :

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा निरंतर वांछित/वारंटी अपराधियों की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में, आज दिनांक **25.10.2025** को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पाण्डुखेड़ी, निकट रेलवे स्टेशन नानौता, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परिवार संख्या **23/2022**, धारा **302/34 भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.)** से संबंधित मुकदमे में वारंटी था, जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी।

☐ गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण :

सागर पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम पाण्डुखेड़ी निकट रेलवे स्टेशन नानौता थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

☐♂☐ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी, थाना नानौता
2. उपनिरीक्षक श्री जसपाल सिंह, थाना नानौता
3. हेड कांस्टेबल 729 उपेन्द्र कुमार, थाना नानौता



दिनांक- 25.10.2025

-प्रेस नोट-

□ सहारनपुर पुलिस की शराब की कशीदगी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना नकुड़ व आबकारी टीम की संयुक्त पुलिस कार्यवाही में कच्ची शराब कसीदगी पर करारा प्रहार — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 28 लीटर कच्ची अवैध शराब, 620/- रुपये नकद व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब की कसीदगी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2025 को थाना नकुड़ व आबकारी टीम की संयुक्त पुलिस कार्यवाही में चेकिंग व गश्त के दौरान कच्ची शराब की कसीदगी करते हुए 01 अभियुक्त सुभाष पुत्र प्रकाश निवासी कुराली थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को ग्राम कुराली के जंगल में टूटूबैल के पास बाजरे के खेत से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 620/- रुपये नकद, 28 लीटर कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण (टीन के ड्रम, प्लास्टिक के बड़े नीले व हरे ड्रम, बड़ा गैस सिलेन्डर, खाली प्लास्टिक कैन, लोहे की खोखली फट्टी आदि सामान) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 467/25 धारा 60(2) आबकारी एक्ट के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुभाष पुत्र प्रकाश निवासी कुराली थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

अभियुक्त सुभाष का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 0441/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नकुड़, स0पुर

बरामदगी का विवरण -

- 28 लीटर कच्ची अवैध शराब
- 620/- रुपये नकद
- शराब बनाने के उपकरण (टीन के ड्रम, प्लास्टिक के बड़े नीले व हरे ड्रम, बड़ा गैस सिलेन्डर, खाली प्लास्टिक कैन, लोहे की खोखली फट्टी आदि सामान बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 464 प्रवेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. प्रधान आबकारी सिपाही परमवीर सिंह आबकारी क्षेत्र
7. आबकारी सिपाही शशांक शर्मा आबकारी क्षेत्र



दिनांक- 25.10.2025

-प्रेस नोट-

□ सहारनपुर पुलिस की नशे के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना नकुड़ पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब ताजा माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2025 को थाना नकुड़ पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त पुलिस कार्यवाही में चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त शहजाद पुत्र बदलू निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम शुक्रताल के गेट से आगे ग्राम नसरुल्लागढ़ की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब ताजा माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 466/25 धारा 63 आबकारी एक्ट के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शहजाद पुत्र बदलू निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सपुर0

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल देशी शराब ताजा माल्टा हरियाणा मार्का

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 253/2019 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11/03 पशु अतिचार अधिनियम थाना नकुड़, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

2. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 482 बलराम पवार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. प्रधान आबकारी सिपाही परमवीर सिंह आबकारी क्षेत्र
5. आबकारी सिपाही शशांक शर्मा आबकारी क्षेत्र



दिनांक: 25-10-2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही —

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मात्र 48 घण्टे के भीतर मोबाइल छिनैनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण: -

दिनांक 23.10.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई कुवेश से उसका फोन छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ मु0अ0स0 460/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना नकुड़ पर पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त छिनैती की घटना का शीघ्र अनवारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2025 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्तों में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्तगण

1. अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. विपिन पुत्र कटार सिंह निवासी ग्राम भोगीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को नयागांव रोड पर केल्विन स्कूल से आगे गंगोह रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से छिना हुआ मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलेन्डर प्लस बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5), 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अंकित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कल्लरहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. विपिन पुत्र कटार सिंह निवासी ग्राम भोगीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 01 मोबाइल फोन (छीना गया)
- 01 मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 320 तरुण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. है0का0 1081 रूपेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
6. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 25.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 25.10.2025 को वादी श्री चन्द्रपाल पुत्र सत्यानन्द निवासी ग्राम बुड्ढाखेड़ा कदीम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के अभियुक्त धन्नी उर्फ शुभम सिंह द्वारा वादी के लड़के के साथ घर में घुसकर जान से मारने की नियत से पाठल(दाव) से हमला करना व मारपीट कर गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु मु0अ0सं0 186/25 धारा 333,118(1),115(2),109(1),117(2), 352,351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 01 अभियुक्त धन्नी उर्फ शुभम सिंह पुत्र जसवीर निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को ग्राम गदरहेडी से मुसैल जाने वाले पक्के रास्ते पर पुराने शिव मंदिर के पास पुलिया के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

धन्नी उर्फ शुभम सिंह पुत्र जसवीर निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 विजय सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 सजल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. है0का0 566 रवित खोखर थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक -25.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की राड व 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.10.2025 को वादी श्री राजवीर पुत्र स्व० इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर की तहरीर बाबत अभियुक्त गण 1.सुमित बोध पुत्र शीशपाल 2-आदर्श पुत्र प्रदीप निवासीगण मौ० राधा स्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर व अन्य अभियुक्तों द्वारा वादी के भांजे अमित को जान से मारने कि नियत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में मु०अ०स० 436/2025 धारा 191(2),191(3),109(1), 115(2),3(5) बीएनएस कराया था मुकदमा उपरोक्त में घायल अमित की दौराने उपचार मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई

दिनांक 22.10.2025 को थाना सरसावा पर वादी मुकदमा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह राधा स्वामी कालोनी सरसावा सहारनपुर की तहरीर पर बाबत अभियुक्त गण 1.आदर्श पुत्र प्रदीप निवासी राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर व अन्य अभियुक्तों द्वारा कालोनी में बुलट मो०सा० से पटाखे छोडना व पटाखे छोडने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के बेटे निखिल के साथ एक राय होकर, तेजदार हथियारों से सुसज्जित होकर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु०अ०स० 437/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2),351(3)/3(5) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में थाना सरसावा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के दिनांक 25.10.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गण 01.आदर्श पुत्र प्रदीप निवासी मौ० राधा स्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर तथा अमित की हत्या करने की साजिश रचने वाले 02- सुमित बोध पुत्र शीशपाल निवासी मौ० राधा स्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आदर्श उपरोक्त की निशादेही से मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित आला कत्ल एक लोहे की रोड व मुकदमा उपरोक्त की घटना में शामिल मो०सा० स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि० नं० UP11CW4214 बरामद की गई। अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण

अभि० आदर्श से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं ओर मेरे दोस्त सभी ने मिलकर दिवाली वाली रात दिनांक 20/21 अक्टूबर की रात में समय करीब 10.30 बजे अमित उर्फ काला पुत्र चन्द्रपाल निवासी राधा स्वामी कालोनी सरसावा से पुरानी रंजीश को लेकर सरिया, लोहे की राड आदि से जान से मारने की नियत से हमला किया था जिस हमले में लगी चोटों से अमित उर्फ काला बेहोश होकर गिर गया था हमें लगा की अब यह मर गया है तब हम सभी अपने अपने हाथों में लिए हथियारों को लेकर भाग गये थे आज आपने मुझे पकड लिया है मेरी गिरफ्तारी के दौरान जो मोटर साईकिल बरामद हुई है यह वही मोटर साईकिल है जिससे मैं राजेन्द्र के घर के सामने पटाखे छुडा रहा था इसी बात को लेकर मेरे साथ राजेन्द्र व उसके बेटे का भी झगडा हो गया था उस झगडे में मेरे साथ मेरा साथ मेरे पिता व मेरे साथी भी थे तथा हमने निखिल को भी घायल कर दिया था लोहे की रोड छिपा दी थी जो आज बरामद करा दी है इस घटना में मेरे दोस्त का भाई सुमित बोध जो सहारनपुर कचहरी में वकालत करता है उसने भी मरने वाले के खिलाफ पहले मुकदमे पंजीकृत करा रखा है इसी घटना से कई दिन पहले सुमित बोध वकील ने हम सब साथियों को इकट्ठा करके योजना के तहत बताया

था कि दिवाली के दिन अपने दुश्मन अमित उर्फ काला को सबक सिखाना है उस दिन सभी जगह पटाखों का शौर रहेगा हमारी घटना के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा और आप इसको जान से मार देना मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा, उसी की बातों में आकर हम साथियों ने इस घटना को अन्जाम दे दिया।

अभियुक्त सुमित बोध से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरी योजना के अनुसार ही मेरे भाई उसके दोस्त आदर्श व अन्य ने मिलकर दिवाली वाली रात में समय करीब 10.30 बजे अमित उर्फ काला पुत्र चन्द्रपाल निवासी राधा स्वामी कालोनी सरसावा से पुरानी रंजीश को लेकर सरिया, लोहे की राड आदि से जान से मारने की नियत से हमला किया था जिस हमले में लगी चोटों से अमित उर्फ काला बेहोश होकर गिर गया था उस झगड़े में मेरे भाई के साथ उसके साथी आदर्श व अन्य भी थे तथा उन्होंने निखिल को भी घायल कर दिया था फिर मोहल्ले के कुछ लोग आये तो पकड़े जाने के डर से भाग गये थे मैं सहारनपुर कचहरी में वकालत करता हूँ मैंने मृतक अमित के खिलाफ पहले मुकदमा पंजीकृत करा रखा है मैंने इन्हे कहा था कि आप इसको जान से मार देना मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा

अभियुक्त आदर्श आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 436/2025 धारा 103(1),191(2),191(3),109(1), 115(2),3(5) बीएनएस थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 437/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2),351(3)/3(5) बी0एन0एस0 थाना सरसावा

अभियुक्त सुमित आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 53/2020 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 436/2025 धारा 103(1),191(2),191(3),109(1),115(2),3(5),61(2) बीएनएस थाना सरसावा

अभि0 आदर्श से बरामदगी का विवरण:---

- 01 लोहे की राड आला कत्ल
- 01 मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नं0 UP 11 CW 4214 घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आदर्श पुत्र प्रदीप निवासी मौ0 राधा स्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. सुमित बोध पुत्र शीशपाल निवासी मौ0 राधा स्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा सहारनपुर
4. हैका0 1134 सन्दीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
5. हैका0 361 मनोज कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
6. का0 2330 सचिन कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
7. का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
8. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
9. का0 2225 रंगेश थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 25.10.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस व मिशन शक्ति टीम द्वारा गुमशुदा 02 नाबालिग बच्चियों व 01 युवती सकुशल बरामद कर किया परिजनो के सुपुर्द

घटना का संक्षिप्त विवरण: –

दिनांक 04.10.2025 को वादी श्री अशरफ पुत्र अकरब निवासी बन्दे की बस्ती मल्हीपुर रोड थाना रामपुर मनिहानर जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री आरवा (1.5 वर्षीय), सोफिया (14 वर्षीय) व शाली महक (22 वर्षीय) को अरुण, सोभित व ब्रजेश नाम के तीन लडके बहला फुसलाकर ले जाने व छेड़खानी करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध प्राप्त हुआ। जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 492/25 धारा 74/351(3)/61(2)बी/137(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण: –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर उपरोक्त महिला व बच्चों को सकुशल खोजने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस व मिशन शक्ति टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज चैकिंग के आधार पर पीड़ितों सोफिया उम्र 14 वर्ष, शाली महक उम्र करीब 22 वर्ष व उसकी पुत्री आरवा उम्र करीब 1.5 वर्ष को बेहट अड्डे के पास से सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गुमशुदा का नाम व पता:-

सोफिया उम्र 14 वर्ष

महक उम्र करीब 22 वर्ष

आरवा उम्र करीब 1.5 वर्ष

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भीम प्रका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 1336 पूजा नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5. म0है0का0 702 सीमा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक -25.10.2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति फेस 5.0 के अन्तर्गत – थाना सरसावा मिशन शक्ति टीम द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गयी, मानसिक रूप से विक्षिप्त लावारिस महिला की पहचान कर परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद में मिशन शक्ति फेस 5.0 अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में थाना सरसावा मिशन शक्ति टीम ने मानवता और संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लावारिस महिला को उसके परिजनों से मिलवाया।

□ घटना का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 24.10.2025 को पीआरवी 5982 द्वारा थाना सरसावा को सूचना दी गई कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लावारिस महिला पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में अकेली घूम रही है और वह अपना नाम-पता बताने में असमर्थ है।

□♀□ पुलिस की तत्पर एवं संवेदनशील कार्यवाही :

सूचना प्राप्त होते ही थाना सरसावा मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी म0उ0नि0 अन्नू परिहार मय टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुँचीं। पुलिस टीम ने महिला (उम्र लगभग 30 वर्ष) को सुरक्षित थाने पर लाया गया और उसे सहानुभूति एवं विनम्रता के साथ समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी प्रयास और संवाद के बाद महिला की पहचान सुधा पुत्री भोपाल सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर भुक्डी थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। मिशन शक्ति टीम ने सी-प्लान ऐप एवं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से महिला के परिजनों से संपर्क किया और उसके पिता भोपाल सिंह पुत्र सिंगारू (मो.नं. 975859775, हाल पता न्यूएरा एकेडमी थाना कुतुबशेर) से संपर्क स्थापित किया।

थाने पर बुलाए गए परिजनों की पहचान सत्यापित कर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की गई और पीड़ित महिला को सकुशल उसके पिता के सुपुर्द किया गया।

□♀□ कार्यवाही करने वाली मिशन शक्ति पुलिस टीम :

1. म0उ0नि0 अन्नू परिहार, प्रभारी मिशन शक्ति, थाना सरसावा
2. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय, थाना सरसावा
3. हेड कांस्टेबल 845 तेजेन्द्र सिंह, थाना सरसावा
4. म0का0 1451 विनीता, थाना सरसावा
5. म0का0 997 दीपा, थाना सरसावा

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर का संदेश :

“महिला सुरक्षा एवं सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस केवल कानून-व्यवस्था की रक्षक नहीं, बल्कि समाज में मानवता की संरक्षक भी है।

इस प्रकार की कार्यवाही जनपद पुलिस की संवेदनशीलता एवं समर्पण का प्रतीक है।”



दिनांक: 25.10.2025

►□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी देवबंद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना देवबन्द द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं छात्राओं में सुरक्षा जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

►□ मिशन शक्ति पुलिस टीम ने श्री राम कृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज, देवबंद में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, आपातकालीन सेवा नंबर 112, तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की विस्तृत जानकारी दी गई।

►□ कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को आत्मरक्षा से संबंधित सुझाव दिए एवं किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु इन हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।

►□ इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक अशोक कुमार, उप निरीक्षक सुधा त्यागी, एवं उप निरीक्षक प्रियंका चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



►□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 तथा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना तीतरों पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

►□ थाना तीतरों क्षेत्र के कस्बा तीतरों के मेन मार्केट व बस स्टैंड पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

*►□ कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एंटी रोमियो प्रभारी उ०नि० अवनि उपाध्याय एवं का० दिव्यांशु द्वारा उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —
*

➡□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर

➡□ 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

➡□ 112 – पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन

➡□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

►□ महिलाओं को इन नंबरों के उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई तथा साइबर अपराध से बचने हेतु सावधानियों से अवगत कराया गया। पुलिस टीम द्वारा पंपलेट वितरित किए गए, महिलाओं की समस्याएँ सुनी गई एवं उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।

►□ थाना तीतरों पुलिस का यह प्रयास महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर, सजग एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



►□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात महोदय तथा क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बेहट मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

►□ थाना बेहट क्षेत्र के मुख्य बाजार में एंटीरोमियो टीम — उप निरीक्षक मनोरमा चौधरी, महिला कांस्टेबल शीतल एवं पीआरडी गीता द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया।

►□ कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को डिजिटल अरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सावधान रहने, साइबर फ्रॉड एवं साइबर अपराध से बचाव के उपायों तथा सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं एवं बाल संरक्षण कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

►□ महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा व संरक्षण के प्रति सचेत किया गया और आत्मविश्वास के साथ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

➡□ 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

➡□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

➡□ 108 – एम्बुलेंस सेवा

➡□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके साथ ही उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से मिलने वाली सहायता सेवाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। थाना बेहट पुलिस द्वारा यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जनजागरूकता का एक सराहनीय प्रयास रहा।*



दिनांक: 25.10.2025

►□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात महोदय तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गंगोह मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

►□ थाना गंगोह क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम — उप निरीक्षक वर्षा कुशवाह, महिला कांस्टेबल अनु, महिला कांस्टेबल सीतल, एवं चालक कांस्टेबल पुष्पेंद्र द्वारा कस्बा गंगोह के मुख्य बाजार, गीत ज्ञान पब्लिक स्कूल, जगन्नाथ पब्लिक स्कूल, राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नवदीप पब्लिक स्कूल (ननौता चौक), सोभित यूनिवर्सिटी चौक, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

_ *कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी गई —*_

►□ महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के महत्व पर चर्चा की गई।

►□ डिजिटल अरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से बचने एवं साइबर फ्रॉड/साइबर क्राइम से सतर्क रहने के उपाय बताए गए।

►□ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई।

►□ महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

_ *साथ ही पुलिस टीम द्वारा उपस्थित जनसमूह को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —*_

□ 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एम्बुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 25.10.2025

►□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात तथा क्षेत्राधिकारी देवबंद के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से थाना बडगांव पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया।

►□ मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम उप निरीक्षक सतीश चन्द, महिला हेड कांस्टेबल मीनू, एवं महिला आरक्षी संगीता द्वारा थाना क्षेत्र के करबा बडगांव में रावत मोहल्ला, गुल्लो का मोहल्ला, शिव मंदिर मोहल्ला आदि स्थानों पर महिला चौपाल आयोजित की गई।

►□ इसके अतिरिक्त टीम द्वारा रामपुर तिराहा, देवबंद-बडगांव अड्डा, सहारनपुर रोड, एवं मेन बाजार बडगांव में गश्त कर बाजार में आई महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया।

—*कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को —*

- डिजिटल अरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से बचने,
- साइबर फ्रॉड एवं साइबर अपराध से सतर्क रहने,
- सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं तथा
- बच्चों के हित में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई।

महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया तथा निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमैन पावर हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



► ☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक देहात तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।*

* ► ☐ मिशन शक्ति एंटीरोमियो टीम हेड कांस्टेबल विकास, महिला हेड कांस्टेबल रेनू यादव, महिला कांस्टेबल अल्पना, एवं महिला कांस्टेबल मनीषा चौहान द्वारा थाना क्षेत्र स्थित बी.एस.एम. इंटर कॉलेज, कुसैनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।*

_ *कार्यक्रम के दौरान टीम ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी दी।*_

साथ ही उपस्थित जनसमूह को —

- ➡ ☐ डिजिटल अरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सचेत रहने,
- ➡ ☐ साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों,
- ➡ ☐ सरकार द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं,
- ➡ ☐ एवं अधिकारों, सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

_ *मिशन शक्ति पुलिस टीम ने प्रतिभागियों को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया —*_

- ☐ 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- ☐ 108 – एम्बुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 25.10.2025

□□ मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

— महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु थाना पुलिस की सराहनीय पहल —

आज दिनांक 25.10.2025 को थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान—

□ (A) थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को चेतावनी देते हुए "No Helmet – No Fuel" अभियान के प्रति जागरूक किया गया।

□ (B) कस्बा मिर्जापुर,

□ (C) ग्राम मिर्जापुर (बैंक वाली गली) एवं

□ (D) उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर पोल

में पुलिस टीम द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया गया।

□□ महिलाओं एवं बालिकाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं व महिलाओं को—

डिजिटल एरेस्टिंग (ऑनलाइन ठगी),

झूठी अफवाहों से सावधानी,

साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से सुरक्षा उपाय

के बारे में विस्तार से बताया गया।

साथ ही, पुलिस टीम ने उन्हें महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, एवं महिला अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी जानकारी दी, ताकि वे आत्मनिर्भर एवं सजग नागरिक बन सकें।

□ आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

महिलाओं एवं छात्राओं को निम्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एम्बुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

— एंटी रोमियो टीम द्वारा रेलवे स्टेशन व बाजारों में चलाया गया महिला सुरक्षा जनजागरूकता अभियान —

आज दिनांक 25.10.2025 को थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत थाना क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान एंटी रोमियो टीम द्वारा रेलवे स्टेशन एवं विभिन्न बाजार क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

□□ महिलाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

एंटी रोमियो टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

साथ ही, उन्हें महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं, साइबर क्राइम से बचाव के उपायों, एवं महिला अधिकारों व आत्मरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

□♀□ कार्यक्रम में सम्मिलित अधिकारीगण

इस जनजागरूकता अभियान में —

महिला उपनिरीक्षक चंचल,

महिला कांस्टेबल रितु,

महिला कांस्टेबल ज्योति,

पीआरडी राखी, तथा

चालक हेड कांस्टेबल जितेन्द्र चौहान

द्वारा सक्रिय भागीदारी करते हुए जागरूकता संदेश दिए गए एवं महिलाओं व छात्राओं को पम्पलेट वितरित किए गए।



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन

— एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर फ्रॉड और सुरक्षा उपायों की दी गई जानकारी —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡□ इस दौरान एंटी रोमियो टीम द्वारा मार्केट, बस स्टैंड, एवं विद्यालयों के आस-पास आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें साइबर अपराधों से सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

□□ जागरूकता के प्रमुख बिंदु

महिलाओं एवं छात्राओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फेक लिंक, OTP फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय बताए गए।

उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग सावधानियाँ, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने की सलाह दी गई।

उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही महिलाओं एवं छात्राओं को पम्पलेट वितरित किए गए, तथा उनकी समस्याओं को सुना गया व निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

□♀□ कार्यक्रम में सम्मिलित अधिकारीगण
इस अभियान में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे —
उप निरीक्षक सुमन चाहर (एंटी रोमियो प्रभारी)
हेड कांस्टेबल कमलेश
कांस्टेबल ममता

इन सभी अधिकारियों द्वारा मिलकर क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता एवं आत्मविश्वास का संदेश दिया गया।



दिनांक: 25.10.2025

* ☐ ☐ थाना मंडी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक*

— एंटी रोमियो टीम द्वारा बैंक, मार्केट एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चलाया गया महिला सुरक्षा जनजागरूकता अभियान —

* ➡ ☐ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना मंडी, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया।*

* ➡ ☐ कार्यक्रम के दौरान टीम ने बैंक, मार्केट एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं जागरूकता के महत्व के बारे में जानकारी दी।*

☐ ☐ महिलाओं को दी गई मुख्य जानकारी

एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों एवं साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई —

☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

* ➡ ☐ महिलाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, और साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय समझाए गए। साथ ही सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों, महिला अधिकारों, एवं सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।*

☐ पम्पलेट वितरण एवं समस्या निस्तारण

* ➡ ☐ कार्यक्रम के दौरान एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सूचनात्मक पम्पलेट वितरित किए गए तथा उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु उचित सुझाव दिए गए।**



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

— एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चलाया गया महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन जनजागरूकता अभियान —

आज दिनांक 25.10.2025 को थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया।

➡□ इस दौरान उप निरीक्षक मोनिका यादव एवं हेड कांस्टेबल बबीता मान द्वारा तकिया जानकनगर, SBD चौराहा, देहरादून चौक, सपना पुल, खानआलमपुरा, बाजोरिया रोड, जेलचुंगी, एवं मंदिर क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

□□ महिलाओं एवं बालिकाओं को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

➡□ एंटी रोमियो टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को डिजिटल एरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, एवं साइबर क्राइम से सुरक्षा उपायों के विषय में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं, एवं बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

➡□ महिलाओं को बताया गया कि वे अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करें।

8□ सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

➡□ साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को पम्पलेट वितरित किए गए, जिनमें इन सेवाओं और मिशन शक्ति अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई।

☐ ♀ ☐ सुरक्षा व्यवस्था एवं क्षेत्र गश्त

* ➡ ☐ अभियान के दौरान टीम द्वारा बाजोरिया रोड सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर गश्त की गई तथा मौजूद मिले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। *



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

— प्राथमिक विद्यालय व आंगनवाड़ी केंद्रों में छात्राओं को सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर जागरूकता की दी गई जानकारी —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0" एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡□ इस अवसर पर महिला उप निरीक्षक अन्नू परिहार एवं महिला हेड कांस्टेबल रुबी द्वारा ग्राम भीखनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित महिलाओं, छात्राओं एवं बालिकाओं को संबोधित कर महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

□□ महिलाओं एवं छात्राओं को दी गई मुख्य जानकारियाँ

➡□ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख हैं —

विधवा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

बाल मजदूरी निषेध जागरूकता

Good Touch – Bad Touch की जानकारी (बच्चों को आत्म-सुरक्षा हेतु शिक्षित करना)

➡□ साथ ही, उपस्थित महिलाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने हेतु जागरूक किया गया, जिसमें फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक, डिजिटल अरेस्टिंग, एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे विषय शामिल थे।

☎ □ सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- ☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- ☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- ☐ 108 – एम्बुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐  ☐ संवाद एवं समस्या निस्तारण

* ➡ ☐ एंटी रोमियो टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए साथ ही सूचनात्मक पम्पलेट वितरित किए गए, ताकि वे इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ स्वयं ले सकें तथा अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सकें।*



□□ थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक

— श्रीमान थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम द्वारा चलाया गया महिला सशक्तिकरण व जनजागरूकता अभियान —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर में थाना अध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सशक्त बनाने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

➡□ इस दौरान महिला उप निरीक्षक अक्षिता सिंह एवं महिला कांस्टेबल रेनू द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों, बैंकों, बाजारों एवं प्रमुख चौराहों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

□□ महिलाओं एवं बालिकाओं को दी गई जानकारी

➡□ टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा एवं डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, फेक कॉल, अनचाहे लिंक आदि से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

➡□ साथ ही मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत उन्हें महिला सशक्तिकरण, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएँ, एवं बच्चों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों (जैसे बाल कल्याण योजनाएँ, सुमंगला योजना, गुड टच-बैड टच आदि) के बारे में बताया गया।

➡□ महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा व संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

☎ □ सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबर

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ 102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा

☐ 181 – महिला हेल्पलाइन

* ➡ ☐ साथ ही सूचनात्मक पम्पलेट वितरित किए गए और उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं की समस्याओं को सुना गया। संबंधित मामलों में तत्काल निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।*



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0, साइबर सुरक्षा एवं नशा मुक्ति सवेरा अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

— मिशन शक्ति टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों पर महिलाओं, बच्चों एवं नागरिकों को सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों से बचाव की दी गई जानकारी —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एक व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया।

➡□ इस अभियान का नेतृत्व महिला उप निरीक्षक अंजू सिंह द्वारा किया गया, जिनके साथ चालक हेड कांस्टेबल यतेन्द्र, महिला कांस्टेबल आशा तथा महिला कांस्टेबल रिम्पी सम्मिलित रहीं।

□ अभियान के अंतर्गत भ्रमण किए गए प्रमुख स्थान

➡□ टीम द्वारा बाला जी मंदिर, भैरव मंदिर, सुभाष नगर, नेहरू मार्केट, नुमाइश कैम्प, बेरीबाग, कंपनी बाग, बुरा बाजार, दाल मंडी पुल, शहीद गंज, जामा मस्जिद, सराफा बाजार, नया बाजार, राधा बिहार, भारत माता चौक, गोपाल नगर, पंसारी बाजार, माधव नगर, सराय चौक, लोहानी सराय, नखासा बाजार, ज्ञान मार्केट, तिलक नगर, पुरानी चुंगी, बागेश्वर मंदिर, जोगियान पुल, दिनेश विहार, सेतिया विहार, पुराना अस्पताल, मेडिकल मार्केट, काजीपुरा, नवीन नगर, अंकित नगर, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, यूरो किड्स स्कूल, हिरणमारन मार्केट सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया गया।

□□ जागरूकता के प्रमुख बिंदु

एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई —

साइबर अपराध एवं फ्रॉड से बचाव के उपाय

डिजिटल सुरक्षा, फेक लिंक, ओटीपी ठगी, फ्रॉड कॉल से बचने के तरीके

सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएँ एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका एवं सेवाएँ

नशा मुक्ति अभियान (सवेरा) के अंतर्गत नशे से दूर रहने एवं समाज को स्वच्छ रखने का संदेश

साथ ही टीम ने नागरिकों को सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

- ☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन
- ☐ 108 – एंबुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- ☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☐ पम्पलेट वितरण एवं संवाद

* ➡ ☐ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को सूचनात्मक पम्पलेट वितरित किए गए तथा साइबर सुरक्षा, सरकारी योजनाओं और नशा मुक्ति के संदेशों से अवगत कराया गया। महिलाओं को थाना परिसर में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र की सेवाओं के बारे में बताया गया तथा किसी भी समस्या के समाधान हेतु पुलिस से निसंकोच संपर्क करने की अपील की गई।*



□□ थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

— एंटी रोमियो टीम द्वारा बाजार, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण व साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा कस्बा सरसावा में जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया।

इस दौरान टीम ने नकुड़ तिराहा, सीएचसी सरसावा, ऑटो/बस स्टैंड, मेन बाजार, सराफा बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया।

□□ महिलाओं एवं बालिकाओं को दी गई जानकारी

➡□ कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें शामिल हैं —

विधवा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएँ

बाल मजदूरी न करने का संदेश

Good Touch – Bad Touch के विषय में जागरूकता

□ साइबर अपराध एवं सुरक्षा पर विशेष जानकारी

टीम द्वारा महिलाओं को साइबर अपराध, फ्रॉड कॉल्स, डिजिटल अरेस्टिंग, अनचाहे लिंक, एवं ऑनलाइन ठगी से बचने के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही यह बताया गया कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

☎ □ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

- ☐ 1090 – वूमैन पावर लाइन
- ☐ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- ☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- ☐ 108 – एम्बुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ ♀ ☐ क्षेत्र में सुरक्षा एवं चेकिंग अभियान

कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने आस-पास खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की एवं संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की।चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा सभी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जागरूक किया गया।



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना नागल पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत शिव विहार कॉलोनी में चौपाल आयोजित

— एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों को डिजिटल सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी —

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को थाना नागल, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सशक्त बनाने हेतु शिव विहार कॉलोनी में चौपाल आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला उप निरीक्षक सुमन ने किया, जिनके साथ महिला कांस्टेबल प्रभा, कांस्टेबल ज्योति, एवं महिला पीआरडी रीना मौजूद रहीं।

□□ जागरूकता के प्रमुख बिंदु

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता एवं मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई —

डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, फेक कॉल्स, अनचाहे लिंक, एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय।

महिला सशक्तिकरण और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएँ जैसे —

विधवा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बाल कल्याण एवं शिक्षा योजनाएँ

बाल मजदूरी निषेध एवं Good Touch–Bad Touch से संबंधित जागरूकता।

महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश।

8□ सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

पुलिस टीम द्वारा उपस्थित नागरिकों को निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

□ 1970 – टेलीफोन / शिकायत सहायता

☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

☐ 102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा

☐ 181 – महिला हेल्पलाइन

☐ पम्पलेट वितरण एवं संवाद

* ➡ ☐ चौपाल के दौरान सूचनात्मक पम्पलेट वितरित किए गए और महिलाओं एवं पुरुषों से संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनी गईं। टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया गया एवं सभी को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। *



*मिशन शक्ति फेज़ 5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की चौपाल आयोजित*

*** ➡ □ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में थाना प्रभारी सत्येन्द्र नागर के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम — उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह, महिला कांस्टेबल सोनू एवं महिला कांस्टेबल ज्योति — द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की जागरूकता चौपाल आयोजित की गई।***

_*चौपाल का आयोजन निम्न स्थानों पर किया गया — मेन बाजार, मोहल्ला बंजारन, संजय चौक, सर्राफा बाजार, हाथी गेट, पीठ बाजार, ग्राम उमाही खुर्द, ग्राम भकला, ग्राम घाटेड़ा

कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज़ 5.0 तथा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

टीम द्वारा डिजिटल सुरक्षा, सशक्तिकरण, तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं बच्चों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई —

- ☐ **1090 – वूमेन पावर लाइन**
- ☐ **1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन**
- ☐ **108 – एम्बुलेंस सेवा**
- ☐ **112 – पुलिस आपातकालीन सेवा**

* ➡ □ चौपाल के दौरान पम्पलेट वितरित किए गए एवं महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया।*



मिशन शक्ति फेज़ 5.0 के अंतर्गत थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

* ➡ ☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान “मिशन शक्ति फेज़-5.0” के तहत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गईं*

कार्यक्रम के दौरान —

- (A) संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को “नो हेलमेट - नो फ्यूल” अभियान के तहत चेतावनी दी गई।
- (B) कस्बा मिर्जापुर,
- (C) ग्राम मिर्जापुर (बैंक वाली गली),
- (D) उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर पोल में महिला एवं बालिकाओं के साथ जागरूकता चौपाल आयोजित की गई।

* ➡ ☐ मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा (Digital Arresting), झूठी अफवाहों से सावधानी, महिला सशक्तिकरण, तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं बालिकाओं के हित में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।*

इसके साथ ही साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से बचाव, एवं महिला सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया —

- ☐ 1090 – वूमेन पावर लाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग
- ☐ 108 – एम्बुलेंस सेवा
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- ☐ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन



दिनांक: 25.10.2025

□□ महिला थाना सहारनपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक — महिला थाना प्रभारी श्रीमती बबीता तोमर के नेतृत्व में टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थलों पर चलाया अभियान —*

आज दिनांक 25.10.2025 को महिला थाना सहारनपुर की प्रभारी श्रीमती बबीता तोमर के नेतृत्व में एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु मिशन शक्ति फेज-5.0 तथा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता माह अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान उप निरीक्षक कुमुद रानी, महिला कांस्टेबल कविता, सरिता, मनीषा एवं कांस्टेबल राहुल की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गांधी पार्क, आदर्श नगर, सुभाष नगर आदि स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

□□ जागरूकता के प्रमुख बिंदु

एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को निम्न विषयों पर जागरूक किया गया —

डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, फेक कॉल्स, अनचाहे लिंक, एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय।

महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएँ — जैसे कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएँ इत्यादि।

Good Touch – Bad Touch, बाल श्रम निषेध, एवं महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण की जानकारी।

महिलाओं को जागरूक करते हुए टीम ने कहा कि साइबर अपराधों से सावधानी बरतना, असामाजिक गतिविधियों की सूचना देना और अपने अधिकारों की जानकारी रखना ही सशक्त महिला समाज की पहचान है।

☎ □ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1970 – टेलीफोन शिकायत सहायता
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 181 – महिला हेल्पलाइन



□□ महिला थाना रिपोर्टिंग चौकी देवबंद द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक *— डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड से बचाव व महिला सशक्तिकरण पर दी गई विस्तृत जानकारी —*

➡□ आज दिनांक 25.10.2025 को महिला थाना सहारनपुर की महिला रिपोर्टिंग चौकी देवबंद में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡□ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, तथा बच्चों के हित में संचालित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया गया।

□□ महिलाओं को दी गई मुख्य जानकारी
पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को निम्न विषयों पर जागरूक किया गया —
महिला सुरक्षा एवं अधिकारों की जानकारी
Good Touch – Bad Touch से संबंधित बच्चों की सुरक्षा जागरूकता
सरकारी योजनाएँ: विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजना आदि

डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव
संदिग्ध लिंक, फेक कॉल व फ्रॉड मैसेज से सावधानी बरतने के उपाय

8□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1970 – टेलीफोन शिकायत सहायता
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 181 – महिला हेल्पलाइन



दिनांक: 25.10.2025

□□ थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक

— एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया शिक्षित —

आज दिनांक 25.10.2025 को थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर के एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला उप निरीक्षक सुमन के नेतृत्व में कस्बा चिलकाना एवं कस्बा सुल्तानपुर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया।

टीम ने चौराहों, बस स्टैंड, बैंक परिसर, दुकानों के सामने एवं बाजार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें मिशन शक्ति फेज-5.0 के उद्देश्यों एवं महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया।

□□ महिलाओं को दी गई जानकारी

एंटी रोमियो टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई —

सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएँ, जैसे —

कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन, बाल कल्याण योजनाएँ आदि।

साइबर अपराधों से बचाव के उपाय —

फेक कॉल, फ्रॉड लिंक, डिजिटल अरेस्टिंग, ऑनलाइन ठगी आदि से सतर्क रहने के तरीके।

महिला अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता।

महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी देने एवं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

8□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को निम्नलिखित सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 108 – एम्बुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन